

28.05.2024 पत्रावली पेश हुई।

प्रकरण कापी लम्बे समय से रेसोउंडेंट की तलबी हेतु विचारराम्यीन हैं। अधिवक्ता अपीलान्ट को आदेशिका दिनांक 13.05.2024 द्वारा रेसो-ले. 01, 03 व 06 के मायम मुकाम व रेसो-संख्या 02, 05 व 07 की तलबी हेतु आगामी 15 ज्युन में समन राष्ट्रीय स्तर के समाचार-पत्र में सामा उरवावर आगामी नारीय पेवी पर समाचार-पत्र की परि प्रस्तुत करने बाबर निर्देशित क्रिया गया था। इन्हे उपरान्त भी अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा आज दिनांक 13 उन्त आदेशिका दिनांक 13.05.2024 की पालना नहीं की गई।

चूंकि प्रकरण 11 वर्ष पुराना होने से oldest Cases की श्रेणी में आता है व अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने से अपील-अपीलान्ट अदम-तकमील में खारिज की जाती हैं।

↓
जिला कलेक्टर, पानी